



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 174 राँची, मंगलवार, 1 वैशाख, 1948 (श०)
21 अप्रैल, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

17 अप्रैल, 2026

संख्या-11/जनगणना 2027-04/2026- 1008/रा०, --भारत सरकार के राजपत्र सं०-89, दिनांक 07 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना का.आ.-99 (अ). नई दिल्ली के अनुसार केंद्रीय सरकार, जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन के घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जायेगा।

तदनुसार झारखण्ड राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य दिनांक-16.05.2026 से 14.06.2026 के मध्य किया जायेगा। स्व-गणना के लिए विकल्प की अवधि दिनांक-01.05.2026 से 15.05.2026 तक होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मंजू रानी स्वांसी),
सरकार के संयुक्त सचिव
